ck?k d eR;q idj.k dh Nku–chu grq

ekud vUo"k.k ifØ;k

(STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR DEALING WITH TIGER DEATH)

dk

vuqokn

i;kZoj.k ,oa ou ea=ky;

Hkkjr ljdkj

jk"Vªh; ck?k laj{k.k izkf/kdj.k

ck?k dk eR;q&izdj.k dh Nkuchu gsrq ekud vUos"k.k izfØ;k

1. 'kh"kZd % बाघ के मृत्यु प्रकरण की छानबीन हेतु मानक अन्वेषण प्रक्रिया।
2. fo"k;% बाघ मृत्यु / शारीरिक अवयवों की जब्ती।
3. lnHkZ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का उक्त विषय पर परामर्श।
4. mn~ns';% यह सुनिश्चित करना की बाघ की मौत के कारणों का निश्चित पता लगे और बाघ&संरक्षण के हित में उसे तार्किक परिणिति यानी अंजाम तक पहुंचाया जाय।
5. y?kq lkjka'k% यह मानक अन्वेषण प्रक्रिया बाघ संरक्षण तथा अन्य क्षेत्रों सहित मैदानी स्तर पर बाघ की मृत्यु घटनाओं की छानबीन के लिए आवश्यक बुनियादी न्यूनतम प्रयास बताती है, जहां मृत बाघ मिला है या उसके शरीरांगों की जब्ती हुई है।
6. fo"k; {ks=%& यह मानक अन्वेषण प्रक्रिया बाघ संरक्षण क्षेत्रों सहित उन सभी वन क्षेत्रों पर लागू होती है जहां कि घटना घटी है।
7. mRrjnkf;Ro%& क्षेत्र संचालक, बाघ रिजर्व के मामले में जिम्मेदार होगा। संरक्षण क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान / वन्यप्राणी अभयारण्य) के लिए संबंधित संरक्षित क्षेत्र प्रबंधक जिम्मेदार होगा। अन्य क्षेत्रों (राजस्व भूमि / संरक्षण क्षेत्र / आरक्षित समुदायिक क्षेत्र / गाँव / बस्ती) के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार वन्यप्राणी अभिरक्षक या जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना घटी है वह वनमण्डलाधिकारी / सहायक वन संरक्षक जिम्मेदार होगा। राज्य स्तर पर समग्र जिम्मेदारी संबंधित राज्य के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक पर होगी।

8. ck?k dh eR;q @'kkjhfjd vo;oksa dh tCrh@?kVuk ntZ gqbZ ijUrq lcwrksa dh iqf"V gsrq 'kjhj dk dkbZ fgLlk@vfLFk&iatj u ik;k tkuk&bu ifjfLFkfr;ksa esa viuk;h tkus okyh izfØ;k ds fy, foLr`r funsZ'kA

(i) vijk/k&ifjn`';@?kVuk ¼nkf;Ro½ jsat vkfQlj] lgk;d lapkyd] lgk;d ou laj{kd] mifunsZ'kd@oue.Mykf/kdkjh½

- जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुँचें साथ ही संबंधित क्षेत्र संचालक/वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को सूचित किया जाये।
- जांच–दल को तुरंत घटना–स्थल पर बुलाये। जांच दल के लिऐ यह अनिवार्य होगा कि वह जांच–किट के साथ घटना स्थल पर पहुंचे।
- रस्सी या टेप द्वारा घटना स्थल को घेरना ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हों।
- घटना स्थल से छेड़छाड़ न करें, सर्वप्रथम घटना स्थल के फोटोग्राफ्स लें। यदि इस क्षेत्र की कैमरा ट्रेप रिकार्डिंग की गई है तो उससे मिलान करने के लिए विभिन्न कोणों से वीडियो–रिकार्डिंग करें। तस्वीरें और वीडियों दोनों पास से और दूरी से लेना चाहिए। घटना स्थल पर पाई गई विभिन्न भौतिक वस्तुओं की दूरी नापने के लिए टेप भी रखा जाना चाहिए। अपराध परिदृश्य में परिस्थितिजन्य अवलोकन बारीकी से दर्ज किया जाना चाहिए।
- सबूतों में हेर–फेर नही करें।
- जांच–पड़ताल और साक्ष्य संग्रह के लिए पूरे क्षेत्र को ग्रिड/हलकों में विभाजित करें।
- सभी महीन विवरण, तारीख, समय, GPS स्थान, मौसम आदि का लेख करें। जांच –प्रक्रिया के दौरान अपनायी गई प्रत्येक कार्यवाही एवं क्रिया–विधि का उपयुक्त तरीके से दस्तावेजीकरण किया जाये। जांच अधिकारी द्वारा धारा 172 CrPC में निर्धारित प्रथा के अनुसार दैनिक केस डायरियां लिखा जाना चाहिये और अगले पर्यवेक्षी अधिकारी को प्रतिदिन प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

- अपेक्षित जब्ती/गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेज मौके पर ही तैयार किया जाना चाहिए।
- तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियों के समय यथा संभव दो स्वतंत्र गवाहों को सम्बद्ध किया जाना चाहिये।
- पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यदि जानवरों के आपसी संघर्ष का संदेह हो तो ऐसे मामले में दूसरे घायल जानवरों के अनुचिन्हों यानी ट्रेल की खोज करें।
- घटना–स्थल का कम से कम 500 मीटर क्षेत्र का घेरा बनाकर, सबूत जुटाने की दृष्टि से उसकी भली भांति तलाशी की जाये। कई मामलों में यह देखा गया है कि जानवर को गोली लगने से या विष के प्रभाव से वह कुछ दूरी पर चला जाता है। सामान्यतः तस्कर शिकारी अपनी सुविधा के लिए शव को कुछ दूर ले जाता है जहां पर उसकी खाल निकाली जा सके।
- घटना स्थल के पास की नदियां, झीलों या अन्य जलाशयों का भी निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि सबूतों को एकत्र किया जा सकें। क्योंकि तस्कर शिकारी अपने शरीर या खाल निकालने में इस्तेमाल किये गये उपकरण पास की नदियों या जलाशयों में धोते हैं। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि तस्कर शिकारी नदी किनारे चलते हुए टाइगर रिजर्व में प्रवेश कर जाते हैं।
- प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से जानवर के पदचिन्ह यानी पगमार्क, आदमी के पद चिन्ह/गाड़ी के टायरों के निशान लेना चाहिए।
- सभी संभव सबूतों को खोंजे और सावधानी से मूलरूप में एकत्र करें और आवश्यक हो तो उनका परिरक्षण भी करें।
- जमीनी स्तर, दृष्टिस्तर यानी आई लेविल और दृष्टि स्तर के ऊपर के सबूतों को खोजें (उदाहरणार्थ छिपने की जगह/ मचान/पेड़ पर गोली के निशान/नई कटी शाखायें/जमीन पर जलाई गई आग के निशान/जली हुई दियासिलाई आदि) घटना स्थल से एकत्रित किये गये नमूनों में निम्नलिखित शामिल हों, जैसे खून, शरीर के तरल पदार्थ, ऊतक, बाल/फर/दाँत/हड्डी के टुकड़े, इत्यादि., बारूद, कपड़े का धागा, पेन्ट चिप्स, मिट्टी, कारतूस के खोल, गोली, पैर के निशान, टायर के निशान, गुटका आवरण, दियासिलाई की तीलियां, खाद्य वस्तुएं तथा जलाशयों के पानी के नमूने आदि।

- मौके पर बरामद उपकरण जैसे उंगलियों के निशान, दाग आदि को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
- कभी–कभी आरोपियों के पहने हेतु कपड़ों को खून के धब्बों एवं तरल पदार्थ इत्यादि के विश्लेषण हेतु जब्त करना होता है। यदि अपराधियों द्वारा खाल निकालने का संदेह हो तो पकड़े गये अपराधियों के नाखून काट कर रख लेना चाहिए।
- इन नमूनों को एकत्रित करने के लिए पारदर्शी पोलीथीन बैग का उपयोग करें, एक ही बैग में भिन्न–भिन्न सामग्री नहीं रखना चाहिए। प्रत्येक सामग्री को अलग–अलग थैले में रखें।
- एकत्रित नमूने विशेषज्ञ एवं कोर्ट को भेजें तथा तीसरी प्रति रिकार्ड हेतु कार्यालय फाईल में रखें।
- एकत्रित नमूनों को ठीक से लेबल और सील करें। प्रत्येक नमूनों पर प्रदर्श–संख्या एवं संक्षिप्त विवरण दिया जाये। बच निकलने और निकासी के मार्ग जैसे सुराग/ट्रेल्स आदि खोजें। सुराग के लिए खोजी कुत्तों (यदि उपलब्ध हो) का उपयोग करें।
- शव से बाह्य साक्ष्य का रिकार्डः शरीर के माप के अलावा (यदि संभव हो तो) घाव, गोली लगने की चोट/निशान, विषाक्तता के लक्षण आदि का लेख किया जाए। शव की चोटों को ठीक से नापें। उनका वर्णन करें और स्पष्ट करें।
- अगर पोस्टमार्टम टीम उपलब्ध हो तो पोस्टमार्टम किया जाए अन्यथा शव को डीप–फ्रीजर में रखें। पोस्टमार्टम दिन के प्रकाश में करना चाहिए।
- पोस्टमार्टम के दौरान अभ्यंतरांग सामग्री यानी विसरल कंटेन्ट और ऊतकों के नमूने एकत्रित करें। ये नमूने किसी प्रतिष्ठित प्रयोगशाला को फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजें। ऊतकों के नमूने भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) या देश के भीतर किसी ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थान को भेजें जिसके पास डीएनए प्रोफाइलिंग और हिस्टो–पैथोलोजिकल परीक्षण की विशेषज्ञता हों।

  (Vhi&मध्यप्रदेश में जबलपुर स्थित सेन्टर फॉर वाइल्ड लाईफ फॉरेन्सिक एण्ड हेल्थ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है।)

- पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अंतिम रूप दें एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सूचित करते हुये मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को भेजें। यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है तो प्राधिकरण को एक प्रारंभिक रिपोर्ट तुरंत भेजी जाए।
- मृत बाघ के शरीर का विनष्टीकरण नियमानुसार सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में किया जाए। जप्त किये गये शारीरिक अवयवों की अदालतों में मुकदमे चलाने के लिए साक्ष्य के रूप में आवश्यकता हो सकती है, इसलिए ऐसी स्थिति में अदालत के अगले आदेश तक इन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए।
- विभागीय प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट POR/FIR जारी करें।
- यदि अभियुक्त उपस्थित है तो उसके हस्ताक्षर के साथ जप्ती एवं गिरफ्तारी ज्ञापन स्थल–मानचित्र साक्षियों आदि के साथ तैयार करें; साथ ही एक वन अधिकारी द्वारा जो सहायक वन संरक्षक से कम ओहदे का न हो प्रजातियों का पहचान प्रमाण–पत्र भी जारी किया जाये। वह अधिकारी प्रमाणित करेगा कि प्रजाति की पहचान प्रशिक्षण एवं मैदानी अनुभव के आधार पर की गई है।

(ii) ;fn lfnX/k 0;fDr dh fxj¶rkjh gbZ gks %

- संदिग्ध व्यक्ति का नाम, पता, बायोमेट्रिक विवरण, फोटो, ऊंचाई, वजन आदि दर्ज करें। खोज/गिरफ्तारी/पूछताछ के दौरान यह विशेष ध्यान दें कि टेलीफोन नम्बर विशेष रूप से मोबाईल फोन के विवरण, डायरियां, नम्बर सहित कागज के टुकड़ों पर लेख आदि जब्त करने का विशेष ध्यान रखें। यह सब सूत्रों का पता लगाने में महत्वपूर्ण है। गिरफ्तार व्यक्तियों को उनके अपराध का पूर्ण विवरण तथा गिरफ्तारी का आधार बताया जाना चाहिए। (सी.आर.पी.सी. की धारा 50 और भारत के संविधान का अनुच्छेद 22(1))
- गिरफ्तारी के लिए कारणों/गिरफ्तारी के लिए आधार का हवाला देते हुए एक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करें।
- वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 50 (8) के तहत संदिग्धों/तथा/अथवा गवाहों के बयान उनके हस्ताक्षर सहित रिकार्ड करें। आदर्शतः बयान का लेख सहायक वन संरक्षक तथा उनके ऊपरी अधिकारी द्वारा होना चाहिए जो कि राज्य

सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो (जो कि वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता है)।

- धारा 50A Cr.P.C. एवं उच्च न्यायालय के जोगिन्दर सिंह प्रकरण विषयक आदेश के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी तथा उसे जहां रखा गया है उस स्थान के विषय में आरोपी के द्वारा नामित किये गये व्यक्ति को जानकारी देना आवश्यक है।
- गिरफ्तार किये गये संदिग्धों का चिकित्सा परीक्षण किया जाना चाहिए तथा 24 घंटे के भीतर प्रभारी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए यदि प्रकरण से संबंधित पिछले और आगामी सूत्रों की खोज करना है तो रिमांड के लिए आवेदन देना चाहिए, यदि आप ऐसा आवेदन देना चाहते हैं तो इसके पहले स्थानीय अदालत में लोक अभियोजक से सम्पर्क करें, ताकि जिससे कर्मचारियों को रिमांड लेने में सफलता प्राप्त हो।
- महिला–अपराधी के मामले में चिकित्सकीय परीक्षण केवल महिला पंजीकृत चिकित्सक द्वारा ही किया जाना चाहिए।

  (Vhi–महिला अपराधी से पूछताछ के समय यथा संभव महिला वनकर्मी को भी साथ रखा जाये या उनके अनुपलब्ध होने पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति में पूछताछ की जाये।)
- आपके पास अभियुक्त की रिमांड के दौरान उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर उचित ध्यान देना चाहिए। यदि आरोपी विभाग की हिरासत में बीमार होता है तो उसे चिकित्सा सहायता या उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए।
- अपराधी से पूछताछ एवं सुरागों के आधार पर अच्छी तरह मामले की जांच करें एवं पिछले एवं अगले सूत्रों की जानकारी हासिल करें, एवं आरोपी द्वारा दिये गये बयान एवं सूचना के आधार पर प्रकरण में अन्य तार जहां–जहां जुड़े हों उन्हें पकड़ें।
- गिरफ्तार व्यक्ति को परामर्श करने का अधिकार है और अपनी पसंद के वकील से अपना बचाव कराने का भी अधिकारी है। (भारत का संविधान अनुच्छेद 22 (1))
- यदि गिरफ्तार व्यक्ति गरीब है तो वह कानूनी सेवा प्राधिकरण (भारत का संविधान अनुच्छेद 39A) के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता हैं।
- मात्र संदेह पर गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। (145Cr.P.C)

- गिरफ्तार व्यक्ति, निराधार गिरफ्तारी/अवैध निरोध यानी डिटेन्शन के लिए मुआवजे का हकदार है।
- यद्यपि आरोपी द्वारा मनो–विश्लेषण (Psycho-Analysis) परीक्षण के दौरान दिये गये बयान का कोई अधिक साक्ष्य महत्व नहीं है किन्तु मामले की जांच में सहयोग करने वाले कठोर अपराधियों के प्रकरण में ऐसे परीक्षणों की अनुशंसा की जा सकती है।
- अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाए, एवं वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 55 के अनुसार कानूनी अदालत में शिकायत की जाए।
- बाघ की मृत्यु के कारणों के निष्कर्ष सहित एक अंतिम रिपोर्ट प्रभारी क्षेत्र संचालक/वन्यप्राणी अभिरक्षक/वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को भेजी जाय और उसकी सूचना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भी दी जाये।
    - ''गिरफ्तारी एवं व्यक्तिगत जब्ती मेमो'' का प्रारूप परिशिष्ट –1 में है।

(iii) <u>fu;=.k d{k@iHkkjh {k= lpkyd@oU;ik.kh vfHkj{kd@ou lj{kd@e[; ou lj{kd d dk;ky; e dh tku okyh vko';d dk;okgh</u>

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक और वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण मंडल WCCB के क्षेत्रीय उप संचालक को घटना के संबंध में तुरंत एक प्रारंभिक सूचना भेजें, (SMS/e-mail/telephonic call/fax etc.)
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण प्रोटोकॉल के अनुसार एक पोस्टमार्टम टीम का गठन।
- एक जांच दल भेजें/जांच अधिकारी की नियुक्ति का कार्यालयीन आदेश जारी करें।
- संभावित सुराग पाने के लिए अतीत और वर्तमान की खुफिया रिपोर्टों, हिस्ट्रीशीटरों संदिग्ध और सेलफोन रिकाड्र्स के कागजातों का विश्लेषण करें तथा समीपवर्ती जिलों, संभागों और राज्यों में भी छानबीन करें।
- बेरियरों पर वाहनों की जांच करें, स्थानीय पुलिस को सूचना दें एवं सभी निकास स्थलों पर वाहनों की जांच करने के लिए रेड अलर्ट जारी करें।
- बाघ के शव की तस्वीरों की जांच करें तथा पहचान या स्त्रोत सिद्ध करने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में बाघों के चित्रों के कैमरा ट्रैप के राष्ट्रीय भण्डार या चरण–IV केमरा ट्रैप मानीटरन् डेटाबेस या अन्य अनुसंधान डेटाबेस के साथ तुलना करें।
- मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के माध्यम से घटना का शासकीय विवरण जारी करें।
- अन्य क्षेत्र संचालकों/राज्यों/वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो को सर्तक करने के लिए तथा अन्य अपराधों के साथ संभावित जुड़ाव स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को संदिग्धों का जीव–सांख्यिकीय (बायोमेट्रिक) विवरण भेजें।
- बारीकी से जांच की निगरानी/निरीक्षण करें, पुलिस विभाग, राज्य के टाइगर प्रकोष्ठ (यदि हो तो), वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो और अन्य जांच संस्थाओं के साथ सम्पर्क रखें।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सूचना देते हुए एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करें और मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को प्रस्तुत करें। चूंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अन्यथा सिद्ध होने तक सभी बाघ–मृत्यु के सभी प्रकरणों को

''शिकार प्रकरण'' माना जाता हैं, अतः बाघ की मृत्यु को प्राकृतिक वर्गीकृत करने के लिए सबूतों के साथ औचित्य प्रतिपादित किया जाय। (परिशिष्ट 5)

- सभी अवैध शिकार/जब्ती के मामलों को प्रभारी अदालतों में पेश किया जाना चाहिए।
- अदालतों में प्रकरण के अंतिम निपटारे तक वहां चल रहे न्यायालधीन मामलों का सतत् अनुश्रवण एवं पैरवी की जाये।
- अदालती आदेश के बाद, यदि आवश्यक हो तो आगे की अपील के लिए सुधारात्मक कार्यवाही हेतु के लिए मामलों का विश्लेषण करें।
- यदि न्यायालय का निर्णय संतोषजनक रहे तो मामला खत्म करें एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सूचित करते हुये तहत मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को प्रतिवेदन दें।

ifjf'k"V&A

U;k;ky; e iLrr dju gr idj.k r;kj dju d fy, egRoi.k fcUn

- बाघ मृत्यु अथवा अवयवों की जप्ती के प्रकरण की जांच करें कि क्या वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 और अन्य अधिनियमों की प्रासंगिक धारायें लगाई गई हैं, जैसे कि वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2, 9, 39, 40, 44, 48, 50 आदि।
- वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50 (8) के तहत गवाहों और संदिग्धों के स्वीकारोक्ति–बयान (अन्य कानूनों की प्रासंगिक धाराओं के अलावा)।
- अपराध के दृश्य की स्थल–योजना। इसमें कम्पार्टमेंट के नक्शे का भी उपयोग हो सकता है।
- कथित अपराध के स्थल की वैधानिक स्थिति यानी स्टेट्स–संरक्षित क्षेत्र/ बाघ आरक्षित क्षेत्र/वनमण्डल/अन्य क्षेत्र, शासकीय अधिसूचना की प्रतिलिपि सहित (टाइगर रिजर्व/संरक्षित क्षेत्र/आरक्षित वन/संरक्षित वन के मामले में)।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
- विशेषज्ञ द्वारा पहचान–रिपोर्ट ऐसे संस्थानों से जैसे कि भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या प्रतिष्ठित संस्था जो कि केवल अंगों/टुकड़ों या ऊतकों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों।
- सील की गई सामग्री पर जो लगाई गई है उसकी प्रतिलिपि।
- जांच के दौरान ली गई तस्वीरों की सीडी या वीडियो–रिकार्डिंग।
- घर के स्वामित्व के कागजात की प्रतिलिपि/जब्ती वाहन/पहचान साक्ष्य/कार्ड आदि।
- वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 या अन्य अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं की प्रतिलिपि।
- दस्तावेजों और गवाहों की सूची वाली परिशिष्ट।
- आंत सामग्री (विसरल) की विधि–चिकित्सकीय फॉरेंसिक रिपोर्ट, प्राक्षेपिक (बैलिस्टिक) रिपोर्ट (यदि लागू हो)।
- कम्लेन्ट चालान का एक प्रारूप परिशिष्ट–2 पर है।

- वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 55 के तहत प्रकरण के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज और प्रकरण दर्ज कराने हेतु दिशा–निर्देश परिशिष्ट–3 पर है।

ifjf'k"V &B

vo/k f'kdkj fojk/kh vkj ck?k lj{kk d fy,
vko';d dk;k ij Vhi

1. प्रत्येक मामले पर अंतिम रिपोर्ट (परिशिष्ठ–5) के लिए गहराई से पर्याप्त जांच की जाए, मामले अनसुलझे या अधूरे न छोड़े जायें।
2. जांच के दौरान अगले पिछले सूत्र, सीमा पारीन बहुत से जुड़ाव, तस्कर शिकारी–वाहक–व्यापारी/उपभोक्ता/गठजोड़ नेटवर्क का पता लगाना।
3. सूचना–प्रौद्योगिकी और मुखबिरों की मदद से संदिग्धों और हिस्ट्री–शीटरों पर गहन निगरानी।
4. पोस्टमार्टम एवं आंत (विसरा) रिपोर्ट की जांच करना।
5. संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध शिकार निरोधक की कार्यवाही के अलावा गहन गश्त करना।
6. अन्वेषण और खुफिया जानकारी सांझा करने के लिए बहस–विषयी दृष्टिकोण एवं सहयोग सुनिश्चित करें। राज्य सरकार और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से वन्यप्राणी प्राधिकरणों को संवेदनशील सीमा क्षेत्र, की संयुक्त गश्त एवं खुफिया जानकारी के आदान प्रदान के लिए IB/LIU के साथ समझौता नामा यानी एम.ओ.यू. करना चाहिए, BSF, CRPF, Assam Rifles, SSB आदि जैसे अर्धसैनिक बलों के साथ भी समझौता नामा करना चाहिए।
7. उचित शीर्ष स्तर पर नियमित रूप से मृत्यु दर के प्रत्येक मामले की समीक्षा करें।
8. न्यायिक, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय हेतु मासिक पुनरीक्षण और समीक्षा बैठक सुनिश्चित करें।
9. प्रत्येक टाइगर रिजर्व में बाघ विषयक अपराध की जांच के लिए फॉरेंसिक विज्ञान के सभी आधुनिक और वैज्ञानिक उपकरणों के साथ, अधिकारियों/रेंजरों का एक उच्च प्रशिक्षित दल होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से राज्य वन विभाग के एक चयनित प्रबुद्ध अन्वेषण दल के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।

10. शीर्ष स्तर पर लंबित प्रकरणों के नियमित मानीटरन द्वारा सम्पूर्ण अन्वेषण के बाद उचित न्यायालयों में प्रकरणों का सही ढंग से अभियोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

11. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को समय–समय पर सूचित करते हुए राज्य/रिजर्व स्तर के प्रत्येक अपराधी या संदिग्ध का डाटा–बेस, हिस्ट्री–शीट या डोज़ियर यानी अपराधी/संदिग्ध विषयक सम्पूर्ण सूचना तैयार करें, सभी आरोपियों विषयक निजी जानकारी यानी परसनल प्रोफ़ायल तैयार करनी चाहिए। सभी मामलों की निगरानी के लिए आदतन अपराधियों की हिस्ट्री–शीट तैयार की जाना चाहिये। इनकी व्यक्तिगत जानकारियों और हिस्ट्री–शीटों (पी.पी. और एच.एस.) की प्रतियां राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण/वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण मंडल (Wildlife Crime Control Bureau-WCCB) को भेजी जानी चाहिए ताकि निगरानी हेतु इनका प्रसारण किया जाये। निजी जानकारी यानी परसनल प्रोफ़ायल (पी.पी.) का प्रारूप परिशिष्ठ–4 पर है।

12. बाघ के तस्कर–शिकार के प्रत्येक मामले से संबंधित अपराधी की कार्यप्रणाली पर पृथक–पृथक टीप बनाकर उसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण मण्डल को भेजा जावे, ताकि उसे अपराध निरोधक रणनीति के लिये उपयोग में लाने के साथ–साथ प्रवर्तन एजेन्सियों के प्रशिक्षण और प्रतिसंवेदीकरण हेतु भी काम में लाया जा सके।

13. यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सुरक्षा योजना होनी चाहिए।

14. अवैध शिकार के खतरे से निपटने और उसकी जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त साधनों को सुनिश्चित करें।

15. चूंकि बाघ वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची–1 में उल्लेखित अत्याधिक संकटापन्न प्रजातियों की श्रेणी में आता है इसलिए न्यायालयाधीन बाघ–अपराध मामलों की साप्ताहिक निगरानी करें, ताकि संबंधित अधिकारिता क्षेत्र के क्षेत्र संचालक/वन्यप्राणी अभिरक्षक/संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक द्वारा मामले का शीघ्र निपटारा किया जा सके।

16. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को प्रत्येक न्यायालयाधीन प्रकरण की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को जानकारी देते हुए राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन–बल के मुखिया) को भी प्रकरणों की मासिक समीक्षा करनी चाहिए।

ifjf'k"V&1

fxj¶rkjh lg 0;fDxr ryk'kh e'ek

(वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (3) के तहत)

1	कार्यालय का नाम	
2	प्रकरण संख्या, दिनांक और कानून की धारा	
3.	नाम, पितृत्व और गिरफ्तार शुदा आरोपी की उम्र	
4.	गिरफ्तार आरोपी का वर्तमान और स्थायी पता	
5.	गिरफ्तार आरोपी की पहचान के निशान	
6.	गिरफ्तारी का कारण एवं बिना वारंट के गिरफ्तार किया या वारंट से	
7.	जगह, तारीख और गिरफ्तारी का समय	
8	दस्तावेज सामग्री जो अभियुक्तों के पाये गये।	
9.	गिरफ्तारी के समय पर उपस्थित स्वंतत्र गवाह का नाम और पता	
10.	गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम	
11.	जिस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई है उसके द्वारा घोषित संबंधी/मित्र का नाम	
12.	स्थानीय पुलिस स्टेशन का नाम जहां पर गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखा गया हो अथवा आरोपी की हिरासत का अन्य स्थल	

13.	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की चोटों सहित कोई अन्य विवरण, यदि हो तो	
14.	गिरफ्तार किये गये आरोपी के हस्ताक्षर	
15.	स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर	
16.	गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर	

ifjf'k"V&2

oU; ik.kh vijk/k dEiyUV pkyku

(वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 55, धारा 200 Cr.PC.) के साथ पठित

1.	कार्यालय का नाम	
2..	अपराध की रिपोर्ट संख्या और तारीख	
3.	स्थान, तारीख और अपराध का समय	
4.	कानून की धारा	
5.	जब्त की गई सम्पत्ति का विवरण	
6.	जब्तशुदा सम्पत्ति किसकी सुपुर्दगी में है–यदि अदालत को बताया गया है तो सम्पदा–सूचकांक	
7.	अगर जीवित नमूने जब्त किये गये हों तो और बाद में अदालत के आदेश अनुसार प्राकृतावास में पुनर्वास किया हो तो	
8.	ऐसे जब्तशुदा नाशवान या खतरनाक पदार्थों का विवरण जिन्हें बाद में अदालत के आदेशानुसार नष्ट कर दिया हो तो	
9.	जब्तशुदा और पुलिस को सौंपे गये हथियारों, यदि कोई हों, का विवरण और पुलिस प्राथमिकी–क्रमांक	
10.	क्या नमूने, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण या किन्हीं अन्य वैज्ञानिक विशेषज्ञों को परीक्षण के लिए भेजे गये थे? यदि हो तो उनके पत्र का विवरण	

	लिखें।	
11.	अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम और कार्यालय का पता	
12.	शिकायत दायर करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम और कार्यालय का पता	
13.	जिसके विरूद्ध शिकायत दर्ज की है उस आरोपी का नाम एवं पता	
(i)	हिरासत में आरोपी	
(ii)	जमानत पर आरोपी	
(iii)	आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया/फरार	
(iv)	आदतन अपराधी जो बारंबार अपराध करते हैं, उनके पिछले मामलों का ब्यौरा	
13.	गवाहों के नाम और पते तथा प्रत्येक गवाह की गवाही द्वारा सिद्ध तथ्य	
14.	दस्तावेजों की सूची यदि कोई हो, तो शिकायत के साथ प्रस्तुत	
15.	अपराधों की प्रकृति और प्रकरण के तथ्य तथा प्रत्येक आरोपी के खिलाफ मामले/आरोप	

प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी का नाम और पदनाम मुहर के साथ

प्रति,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/JMFC
(पता)

ifjf'k"V&3

dEiyUV pkyku d lkFk lyXu fd;s tkus oky nLrkost

1. वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 55 के तहत जिसे भारतीय आपराधिक संहिता 1973 की धारा 200 के साथ पढ़े, शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु संबंधित न्यायाधीश को पत्रों का अग्रेषण या कवरिंग लैटर
2. घटना की आनुक्रमिक पद्धति से अधिमान्यतः नैतिकक्रम में, धारा 51 तथा प्रासंगिक धाराओं सहित, जिनके उल्लंघन हेतु आरोपी को दंडित करने का आवेदन दिया हो।
3. POR / FIR अगर हो, संलग्न कर अदालत को भेजी गई जानकारी।
4. आरोपियों की सूची।
5. गवाह की सूची।
6. स्थल ज्ञापन।
7. गिरफ्तारी ज्ञापन।
8. चिकित्सकीय–प्रतिवेदन।
9. रिश्तेदारों को सूचना।
10. जब्ती ज्ञाप।
11. आरोपी के बयान।
12. गवाह के बयान वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम की (धारा 50 (8) के तहत।
13. आरक्षित वन / राष्ट्रीय उद्यान / अभयारण्य की राजपत्र–अधिसूचना।
14. पोस्टमार्टम रिपोर्ट / विशेषज्ञ–अभिमत।
15. वन्यप्राणी–गणना रिपोर्ट (यदि कोई हो)
16. जांच अधिकारी का नियुक्ति पत्र।
17. कर्मचारियों का पदस्थिति आदेश।
18. वाहन की लॉगबुक (अगर प्रयुक्त)
19. अन्य संबंधित दस्तावेज जो प्रासंगिक घटना पर असर करता हो।

oU; ik.kh lj{k.k vf/kfu;e 1972 dh /kkjk 55 d rgr f'kdk;r nt djku d fy, fn'kk&fun'k

जो अधिकारी कम्पलेन्ट चालान दर्ज कराने जाता है वह यह सुनिश्चित करे कि वह कम्पलेन्ट दर्ज कराने के लिए वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 55 के तहत अधिकृत किया गया है अथवा नहीं।

यदि आरोपी न्यायिक हिरासत में हो तो उसकी गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिनों के भीतर कम्पलेन्ट चालान दायर की जाना चाहिए। एक से अधिक आरोपी के मामले में 60 दिनों की अवधि पहले आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख से शुरू होती है।

कम्पलेन्ट चालान अधिमानतः टाईप या सुलिखित होना चाहिए जिसमें कोई ओवर राईटिंग या कांट–छांट न की गई हों।

कम्पलेन्ट चालान में सभी आरोपियों का पूर्ण विवरण और व्यक्गित रूप से उनके द्वारा निभाई गई भूमिका तथा उनमें से प्रत्येक के द्वारा किये गये अपराध का विवरण, अधिनियम की विविध संबंधित धाराओं के अनुसार दर्ज करना चाहिए। आरोपियों की वर्तमान स्थिति जैसे जमानत, न्यायिक हिरासत या फरारी आदि का भी शिकायत में उल्लेख किया जाना चाहिए। न्यायिक हिरासत में आरोपी के मामले में जिस जेल में वे बंद हैं उस जेल का नामोल्लेख किया जाये। फरार आरोपी के मामले में जांच अधिकारी द्वारा धारा 82 एवं 83 CrPC के तहत की गई कार्यवाही के सहित यह भी बताना चाहिये कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किये गये।

कम्पलेन्ट चालान विशिष्ठ और स्पष्ट होना चाहिए। शिकायत में ऐसे तथ्यों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। जिनके पक्ष में सबूत न हों। इसी प्रकार शिकायत में ऐसे आरोपी का नाम नहीं लिखा जाना चाहिए जिसके विरूद्ध पर्याप्त सबूत न हों। प्रकरण से संबंधित तथ्यों या परिस्थितियों को सरल भाषा में क्रमवार लिखना चाहिए। गवाहों, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं की सूची भी शिकायत के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्राधिकृत शिकायतकर्ता अधिकारी को सभी पृष्ठों एवं परिशिष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करना चाहिए।

गवाहों की सूची के अनुसार वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा 50(8) के तहत, शासकीय गवाहों सहित सारे गवाहों के बयान, आरोपी का इकबालिया बयान और मजिस्ट्रेट

द्वारा सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज किये गये बयान (यदि कोई हों) शिकायत के साथ प्रस्तुत किये जाना चाहिए।

संलग्न दस्तावेजों की सूची के अनुसार सभी दस्तावेजों की मूल अथवा सत्यापित प्रतियां शिकायत के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। शिकायत के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेजों की व्यापक सूची नीचे दी गई है।

ifjf'k"V&4

futh fooj.k ¼ikQkby½

1. नाम, उपनाम, और पिता का नाम

तारीख के साथ फोटो

2. पता

3. व्यक्तिगत विवरण

जन्मतिथि/आयु :	बालः
जन्म स्थान :	आंखेः
लंबाईः	लिंगः
वजनः	रंगः
गठनः	भाषाः

नागरिकताः

निशान/पहचान के निशान

टिप्पणियां :

4. महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी
   a. टेलीफोन/मोबाइल नम्बर
   b. ई–मेल पता
   c. पासपोट क्रमांक
   d. बैंक खाता क्रमांक
   e. आधार कार्ड क्रमांक
   f. मतदाता पहचान पत्र क्रमांक
   g. राशन कार्ड क्रमांक
   h. उंगलियां के निशान के रिकार्ड

5. वर्तमान/पिछले व्यवसाय और स्वामित्व वाली सम्पत्ति की सूची
6. सहायक/रिश्तेदारों/परिवार के सदस्यों और उनके पेशे।
7. अपराध का इतिहास और उसके खिलाफ वन्यप्राणी मामले (मामलों) का संक्षिप्त तथ्य
8. अपराध की कार्यप्रणाली

ifjf'k"V&5

vfre ifronu

(बाघ मृत्यु दर/जब्ती के प्रत्येक मामले मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत करने हेतु)

1	कार्यालय का नाम	
2	मृत्युदर के स्थान का विवरणः विवरण, जीपीएस, कम्पार्टमेंट/ब्लॉक/रेंज/उपवनमण्डल/वनमण्डल/ टाइगर रिजर्व या अन्य जगह और समय	
3	मृत्यु की तारीख एवं शव की रिपोर्ट	
4	शरीरांगों की जब्ती के प्रकरण में शव की स्थिति या जब्त सामग्री का विवरण	
5	जिन लोगों (स्टाफ या अन्य) ने घटना की प्रथम सूचना दी उनका नाम, पता, सम्पर्क का विवरण, टेलीफोन नंबर, ई–मेल	
6	शव के लिएः तिथि, समय और पोस्टमार्टम की जगह	
7	पोस्टमार्टम टीम का विवरण (नाम/पदनाम/पता/सम्पर्क)	
8	लापता शरीरांगों का विवरण, यदि कोई हो	
9	पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण (पोस्टमार्टम की एक प्रति संलग्न करें)	
10	शव की रंगीन फोटो (निकट से, चोट को संकेत करते हुए यदि कोई हो तो)	
11	क) आंत (विसरा) का नमूना एकत्रित करने की तारीख और फॉरेंसिक विश्लेषण हेतु भेजने की तारीख। ख) फॉरेंसिक–लेब का नाम, पता एवं सम्पर्क–विवरण ग) आंत (विसरा) विश्लेषण–रिपोर्ट का परिणाम (प्रति संलग्न)	
12	मौत का कारणः प्राकृतिक/शिकार	
13	अवैध शिकार या शरीर के अंगो के जप्ती के मामले में 1. आगे की कार्रवाई को/प्रस्तावित 2. जब्त शरीरांगो की रंगीन तस्वीरें संलग्न करें। 3. प्रजाति की पहचान हेतु प्रमाणीकरण दें (हड्डी के	

	टुकड़े/मांस या अन्य शरीरांगों जो कि भौतिक रूप से पहचाने नही जा सकते 4. अपराधियों/संदिग्धों के खिलाफ की गई कार्यवाही (यदि गिरफ्तार कर लिया गया हो) 5. प्रकरण की स्थिति/शिकायत–क्रमांकः शिकायत दाखिल करने की तारीख, कानून की धाराएं, न्यायालय का नाम जहां पर शिकायत दायर की गई है।	
14	अगर मौत प्राकृतिक हो तो उसका कारण : इस निश्कर्ष का आधार	
15	टिप्पणियां यदि कोई हो	
16.	प्रभारी–अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, दिनांक और मुहर	

(मानक संचालक प्रक्रिया को वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो, श्री सौरभ शर्मा, विधि विशेषज्ञ और टाइगर रिजर्व के क्षेत्र अधिकारियों से सहयोग से तैयार किया गया है।)

****